राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–22 (लो0सू0अ0)/2023–24

श्री ठाकुर नरेन्द्र कुमार, पिता–श्री जितेन्द्र प्रसाद ठाकुर, ग्रा0+पो0–लालू छपरा, था0–पारो, जिला–मुजफ्फरपुर–843126

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
10.05.2023	श्री ठाकुर नरेन्द्र कुमार, पिता–श्री जितेन्द्र प्रसाद ठाकुर, ग्रा0+पो0–लालू छपरा, था0–पारो, जिला–मुजफ्फरपुर–843126 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–30.04.2023 इस कार्यालय में दिनांक–09.05.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अपीलकर्त्ता श्री ठाकुर नरेन्द्र कुमार ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–10.12.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी–सह–जिला कलेक्टर, मुजफ्फरपुर को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्यपाल सचिवालय के प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम–3 (परिशिष्ट–1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में रू 10/– (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न किया है। अतः अपीलार्थी से अपील शुल्क अथवा गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का साक्ष्य की मॉग करें ताकि उनका अपील आवेदन स्वीकृत कर अग्रतर कार्रवाई की जा सके। विदित हो कि कोई भी जिला सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित जिला द्वारा अपने जिला के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः जिला में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त जिला के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्राप्त प्रथम अपील आवेदन पर अग्रत्तर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसे अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें। **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	